प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ

माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा एवं

माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा

दाण्डिक अपील क्रमांक 121 वर्ष 2007

पुन्नूराम

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचार हेतु निर्णय

सही /-

आर.एस. शर्मा

न्यायाधीश

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश:

मैं सहमत हूँ।

सही /-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

दिनांक 24-07-2012 को सूचीबद्ध करें।

सही /-

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

युगलपीठ

माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा एवं

माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा

दाण्डिक अपील क्रमांक 121 वर्ष 2007

अपीलार्थी: पुन्नूराम, आत्मज बैसाखू यादव, आयु लगभग 43 वर्ष, निवासी जरहागांव, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति:

श्री विश्वनाथ गोस्वामी, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्री एन.के. मेहता, राज्य/प्रत्यर्थी हेतु पैनल अधिवक्ता।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत दाण्डिक अपील

निर्णय

(दिनांक 24 जुलाई, 2012 को प्रदत्त)

माननीय न्यायमूर्ति श्री राधे श्याम शर्मा के अनुसार,

1. यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुंगेली, जिला बिलासपुर द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 41/2006 में पारित निर्णय दिनांक 8-1-2007 के विरुद्ध निर्देशित है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, अभियुक्त/अपीलार्थी पुन्नूराम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्ध किया गया है

और उसे आजीवन कारावास तथा 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड, और अर्थदण्ड के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर 6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दंड से दण्डादिष्ट किया गया है।

2. अभियोजन का मामला, संक्षेप में, इस प्रकार है: शिकायतकर्ता संतोष कुमार कश्यप (अ.सा.-4), आत्मज पुन्नीराम, कुटेलीपारा, जरहागांव में रहता था और कृषि कार्य में संलग्न था। दिनांक 25-9-2005 को, दोपहर लगभग 12:30 बजे, वह अपने घर पर मौजूद था। उसने शोर सुना कि अपीलार्थी ने सुहावन तालाब में पुन्नीराम की 'तब्बल ' से हत्या कर दी है। वह और उसका भाई दौड़कर घटनास्थल पर पहुँचे, जहाँ मृतक पुन्नीराम पड़ा हुआ था। उसने मृतक से पूछा कि उस पर किसने हमला किया। मृतक ने उसे बताया कि पुरानी रंजिश के कारण अपीलार्थी ने उस पर हमला किया है। राघवराम (अ.सा.-15) और हंसराम (अ.सा.-1) इस घटना के साक्षी थे। संतोष कुमार कश्यप (अ.सा.-4) ने थाना जरहागांव में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-5) दर्ज कराई, जहाँ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के तहत अपराध पंजीकृत किया गया। मृतक को चिकित्सकीय परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तखतपुर भेजा गया, किंतु मार्ग में ही उसकी मृत्यु हो गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तदुपरांत, देहाती मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-6) अभिलिखित की गई और नियमित मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-17) भी दर्ज की गई। विवेचना अधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तखतपुर पहुँचकर पंचों को नोटिस (प्रदर्श पी-18) दिया और मृतक के शव का पंचायतनामा/मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श पी-2) तैयार की। शव को शव परीक्षण हेतु प्रदर्श पी-11A के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तखतपुर भेजा गया। डॉ. अनिल कुमार गुप्ता (अ.सा.-9) ने मृतक के शव का शवपरीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-11) दी, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित चोटें पाईं:

(i) कटा हुआ घाव , 13 सेमी x 4 सेमी x 4 सेमी, जो दाहिने कान के ट्रैगस से गर्दन के पिछले हिस्से तक स्थित था, घाव के किनारे नियमित और साफ कटे हुए थे, घाव पर रक्त का थक्का मौजूद था, घाव का रंग लाल था।

(ii) कटा हुआ घाव, 11 सेमी x 2 सेमी x 5 सेमी, जो दाहिने जबड़े के कोण से शुरू होकर गर्दन के पिछले हिस्से तक था, घाव के किनारे नियमित और साफ कटे हुए थे, घाव पर रक्त का थक्का मौजूद था, घाव का रंग लाल था। दाहिनी बाहरी कैरोटिड धमनी , दाहिनी आंतरिक कैरोटिड धमनी और दाहिनी इनोमिनेट शिरा कटी हुई थीं। उन्होंने राय दी कि मृत्यु का कारण गर्दन की मुख्य रक्त वाहिकाओं, दाहिनी बाहरी कैरोटिड धमनी, दाहिनी आंतरिक कैरोटिड धमनी और

दाहिनी इनोमिनेट शिरा के कटने से अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उत्पन्न सिंकोप था और मृत्यु की प्रकृति मानव-वध थी।

आगे की विवेचना में, अपीलार्थी की टब्बल, लुंगी और बनियान को प्रदर्श पी-15 के माध्यम से जब्त किया गया। घटनास्थल से सादी मिट्टी और रक्त रंजित मिट्टी को प्रदर्श पी-16 के माध्यम से जब्त किया गया। पटवारी गोवर्धन प्रसाद पटेल (अ.सा.-14) ने प्रदर्श पी-22 के माध्यम से नजरी नक्शा तैयार किया और विवेचना अधिकारी ने भी प्रदर्श पी-19 के माध्यम से एक अन्य नजरी नक्शा तैयार किया। जब्तशुदा वस्तुओं को प्रदर्श पी-13 के माध्यम से विधि विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया।

विवेचना पूर्ण होने के उपरांत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुंगेली के न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोग-पत्र दाखिल किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय, बिलासपुर को उपार्पित कर दिया, जहाँ से इसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुंगेली द्वारा अंतरण पर प्राप्त किया गया, जिन्होंने विचारण का संचालन किया और अपीलार्थी को उपरोक्त अनुसार दोषसिद्ध एवं दण्डादिष्ट किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वनाथ गोस्वामी ने तर्क दिया कि मृतक द्वारा अपने पुत्रों संतोष कुमार (अ.सा.-4) और अजीत कुमार (अ.सा.-6) के समक्ष किया गया मौखिक मृत्युकालिक कथन विश्वसनीय और भरोसेमंद नहीं है और यह विश्वास प्रेरित नहीं करता है। मृतक की पत्नी भगवतीबाई (अ.सा.-5) का परीक्षण चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में किया गया, किंतु उसने घटना नहीं देखी थी। यदि उसने घटना देखी होती, तो उसका उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-5) और मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-6 एवं पी-17) में अवश्य होता। अतः, उसका साक्ष्य भी विश्वसनीय और भरोसेमंद नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि घटना के 15 मिनट के भीतर ही मृतक की मृत्यु हो गई थी, इसलिए वह मृत्युकालिक कथन करने की स्थिति में नहीं था। अतः, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक मृत्युकालिक कथन का साक्ष्य पूर्णतः अविश्वसनीय है। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि संतोष कुमार (अ.सा.-4) और अजीत कुमार (अ.सा.-6) मृतक के पुत्र होने के नाते, भगवतीबाई (अ.सा.-5) मृतक की पत्नी होने के नाते और मुकुटराम (अ.सा.-2) मृतक का भाई होने के नाते, संबंधी साक्षी हैं, इसलिए उनका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है और उसे दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता। अतः, अपीलार्थी उसके विरुद्ध विरचित आरोप से दोषमुक्त किये जाने का पात्र है।

4. राज्य/प्रत्यर्थी के विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री एन.के. मेहता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और सत्र विचारण क्रमांक 41/2006 के अभिलेख का परिशीलन किया है। अपीलार्थी की दोषसिद्धि मुख्य रूप से संतोष कुमार (अ.सा.-4), अजीत कुमार (अ.सा.-6), मुकुटराम (अ.सा.-2) के समक्ष किए गए मौखिक मृत्युकालिक कथन और भगवतीबाई (अ.सा.-5) के चक्षुदर्शी साक्ष्य पर आधारित है।

6. यह निर्विवाद है कि संतोष कुमार (अ.सा.-4) और अजीत कुमार (अ.सा.-6) मृतक के पुत्र हैं, भगवतीबाई (अ.सा.-5) मृतक की पत्नी है और मुकुटराम (अ.सा.-2) मृतक का भाई है, और इसलिए, वे मृतक के निकट संबंधी हैं।

संबंधित, हितबद्ध और आहत साक्षी

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. तकदीर समसुद्दीन शेख विरुद्ध गुजरात राज्य एवं अन्य, ए. आई.आर.2012 एस.सी. 37 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :

> "10. .... इस संबंध में दिए गए तर्क यह रहे हैं कि श्री भरत राजेंद्रप्रसाद त्रिवेदी (अ.सा.-1) फर्म में भागीदार होने के नाते, यहाँ संलिप्त भूमि के लेनदेन में इस स्थिति में लाभार्थी होंगे यदि एक भागीदार समाप्त हो जाए और दूसरा भागीदार जेल चला जाए। ऐसा तर्क दो कारणों से स्वीकार्य नहीं है:
>
> (i) किसी साक्षी को 'हितबद्ध साक्षी' मानते हुए उसके साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय, न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि 'हितबद्ध' शब्द यह पूर्वधारणा करता है कि साक्षी का किसी अन्य कारण से अभियुक्त को किसी न किसी तरह दोषसिद्ध कराने में कोई प्रत्यक्ष स्वार्थ होना चाहिए।
>
> (ii) इस न्यायालय ने निरंतर यह धारित किया है कि एक सामान्य नियम के रूप में न्यायालय अकेले साक्षी के साक्ष्य पर कार्य कर सकता है और विचार कर सकता है, बशर्ते वह पूर्णतः विश्वसनीय हो। किसी व्यक्ति को मात्र एक साक्षी के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध करने में कोई विधिक बाधा नहीं है। साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 134 का तर्क यही है। किंतु यदि साक्ष्य के

बारे में संदेह है, तो न्यायालय संपुष्टि पर जोर देगा। वास्तव में, क्रमांक या मात्रा नहीं, अपितु गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। समय-सिद्ध सिद्धांत यह है कि साक्ष्य को तोला जाना चाहिए, गिना नहीं। परीक्षण यह है कि क्या साक्ष्य में सत्यता की ध्वनि है, क्या वह अकाट्य, विश्वसनीय और भरोसेमंद है या नहीं। विधिक प्रणाली ने साक्षियों की क्रमांक , बहुलता या प्रचुरता के बजाय साक्ष्य के मूल्य, वजन और गुणवत्ता पर बल दिया है। इसलिए, एक सक्षम न्यायालय के लिए यह खुला है कि वह एकल साक्षी पर पूर्णतः और पूरी तरह से भरोसा करे और दोषसिद्धि अभिलिखित करे। इसके विपरीत, यदि वह साक्ष्य की गुणवत्ता के बारे में संतुष्ट नहीं है, तो कई साक्षियों के साक्ष्य के बावजूद अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकता है। ....."

8. ब्रह्म स्वरूप एवं अन्य विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई.आर.2011 एस.सी. 280 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"21. मात्र इसलिए कि साक्षी मृतक व्यक्तियों के निकट संबंधी थे, उनके साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता। किसी एक पक्ष से उनका संबंध ऐसा कारक नहीं है जो साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करे, विशेष रूप से, कोई संबंधी वास्तविक अपराधी को नहीं छिपाएगा और किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध आरोप नहीं लगाएगा। किसी पक्ष को अपनी झूठी संलिप्तता के संबंध में तथ्यात्मक आधार प्रस्तुत करना होता है और त्रुटिहीन साक्ष्य प्रस्तुत करके उसे सिद्ध करना होता है। हालाँकि, ऐसे मामलों में, न्यायालय को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और साक्ष्य का विश्लेषण यह पता लगाने के लिए करना चाहिए कि क्या वह अकाट्य और विश्वसनीय साक्ष्य है। ...."

22. "जहाँ घटना के किसी साक्षी को स्वयं उस घटना में चोटें आई हों, ऐसे साक्षी का साक्ष्य सामान्यतः अत्यधिक विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि वह एक ऐसा साक्षी है जिसकी घटना स्थल पर उपस्थिति की अंतर्निहित गारंटी होती है और इस बात की संभावना कम होती है कि वह किसी को झूठा फंसाने के लिए अपने वास्तविक हमलावर को छोड़ देगा। 'किसी आहत साक्षी

को अविश्वसनीय ठहराने के लिए ठोस साक्ष्य की आवश्यकता होती है'।" ......

9. रणजीत सिंह एवं अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य, ए. आई.आर.2011 एस.सी. 255 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :

"17. "..... भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत, एकल साक्षी द्वारा दिया गया विश्वसनीय साक्ष्य किसी अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त होगा, जबकि आधा दर्जन साक्षियों द्वारा दिया गया साक्ष्य जो विश्वसनीय नहीं है, दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सत्य है; किंतु जहाँ किसी दाण्डिक न्यायालय को बड़ी क्रमांक में अपराधियों और बड़ी क्रमांक में पीड़ितों से जुड़े किसी अपराध के कारित होने से संबंधित साक्ष्य पर विचार करना हो, तो आमतौर पर यह परीक्षण अपनाना सामान्य है कि दोषसिद्धि तभी कायम रखी जा सकती है जब उसे दो या तीन या अधिक साक्षियों का समर्थन प्राप्त हो जो घटना का एक सुसंगत विवरण देते हों। एक अर्थ में, इस परीक्षण को यांत्रिक कहा जा सकता है; लेकिन यह समझना कठिन है कि इसे तर्कहीन या अनुचित कैसे माना जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. मुथु नायकर एवं अन्य विरुद्ध तमिलनाडु राज्य, ए. आई.आर.1978 एस.सी. 1647 में, इस न्यायालय ने पूर्वोक्त निर्णय की व्याख्या करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में जहाँ किसी साक्षी पर बड़ी क्रमांक में व्यक्तियों से बने विधि-विरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा हमला किया गया हो, न्यायालय को ऐसे साक्षी की विश्वसनीयता के प्रश्न पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। जहाँ न्यायालय का यह मत हो कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में ऐसे साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है, तो उसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किए जाने से पहले इस बात पर जोर देना चाहिए कि ऐसे साक्ष्य की संपुष्टि एक या अधिक अन्य साक्षियों द्वारा की जाए।

19. "साक्ष्य का ऐसा कोई नियम नहीं है कि तब तक कोई दोषसिद्धि नहीं की जा सकती जब तक कि साक्षियों की एक निश्चित न्यूनतम क्रमांक ने किसी विशेष अभियुक्त की पहचान विधि-विरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में न की हो। यह स्वयंसिद्ध है कि साक्ष्य को गिना नहीं जाना चाहिए बल्कि केवल तोला जाना चाहिए और यह साक्ष्य की मात्रा नहीं बल्कि गुणवत्ता है जो मायने रखती है। यहाँ तक कि एक एकल साक्षी का साक्ष्य भी, यदि पूर्णतः विश्वसनीय हो, तो विधि-विरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में अभियुक्त की

पहचान स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। फिर भी, जब विधि-विरुद्ध जमाव का आकार काफी बड़ा हो (जैसा कि इस मामले में है) और कई व्यक्तियों ने घटना देखी हो.....

10. वर्तमान मामले में, अभियोजन ने मौखिक मृत्युकालिक कथन का साक्ष्य प्रस्तुत किया है।

11. हेइक्रुजम चाओबा सिंह विरुद्ध मणिपुर राज्य, ए. आई.आर.2000 एस.सी. 59 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :

"3. इसमें कोई संदेह नहीं है कि मौखिक मृत्युकालिक कथन दोषसिद्धि का आधार बन सकता है, यद्यपि न्यायालय सावधानी के नियम के रूप में संपुष्टि की अपेक्षा करते हैं। किंतु, उक्त कथन पर कार्रवाई करने से पहले, न्यायालय को इसकी सत्यता के बारे में संतुष्ट होना चाहिए और यह कि उक्त कथन मृतक द्वारा तब किया गया था जब वह कथन देने के लिए स्वस्थ स्थिति में था। मृत्युकालिक कथन को समग्र रूप से लिया जाना चाहिए और जो साक्षी उसके समक्ष किए गए ऐसे मौखिक कथन के बारे में साक्ष्य देता है, उसे विश्वसनीयता की जांच पर खरा उतरना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. संतोष कुमार कश्यप (अ.सा.-4) ने अभिसाक्ष्य दिया कि उसने शोर सुना कि अपीलार्थी ने सुहावन तालाब में मृतक की तब्बल से हत्या कर दी है। वह और उसका भाई दौड़कर घटनास्थल पर पहुँचे, जहाँ उन्होंने देखा कि मृतक पड़ा हुआ था। उसने मृतक से हमलावर के बारे में पूछा। मृतक ने उसे बताया कि पुरानी रंजिश के कारण अपीलार्थी ने उस पर हमला किया है। अजीत कुमार (अ.सा.-6) और मुकुटराम (अ.सा.-2) ने अभिसाक्ष्य दिया कि दोपहर लगभग 12:30 बजे, भगवतीबाई (अ.सा.-5) चिल्लाते हुए आई और अजीत कुमार (अ.सा.-6) को बताया कि मृतक की अपीलार्थी द्वारा हत्या कर दी गई है। वे तुरंत सुहावन तालाब गए, जहाँ उन्होंने देखा कि मृतक 'पचरी' में पड़ा हुआ था। मृतक की गर्दन पर चोट के निशान थे और वहाँ से खून बह रहा था। उन्होंने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि संतोष कुमार (अ.सा.-4) ने मृतक से हमलावर के बारे में पूछा। मृतक ने बताया कि अपीलार्थी ने उस पर हमला किया है।

13. भगवतीबाई (अ.सा.-5) ने अभिसाक्ष्य दिया कि दोपहर लगभग 12:30 बजे, वह और उसके पति (मृतक) सुहावन तालाब में स्नान करने गए थे। उस समय, अपीलार्थी, तब्बल से लैस होकर वहाँ आया और मृतक पर प्रहार किया। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि वह दौड़कर घर आई और अपने पुत्र अजीत कुमार (अ.सा.-6) को घटना के बारे में बताया। तदुपरांत, वह और अजीत कुमार (अ.सा.-6) सुहावन तालाब गए। जब वे घटनास्थल पर पहुँचे, उस समय मृतक जीवित था।

14. डॉ. अनिल कुमार गुप्ता (अ.सा.-9) ने अभिसाक्ष्य दिया कि मृतक को आई चोटों को देखते हुए, वह लगभग 15-20 मिनट तक जीवित रहा होगा। संतोष कुमार (अ.सा.-4) और अजीत कुमार (अ.सा.-6) ने विशेष रूप से अभिसाक्ष्य दिया कि जब वे घटनास्थल पर पहुँचे और मृतक से हमलावर के बारे में पूछा, तो मृतक ने उन्हें बताया कि अपीलार्थी ने उस पर तब्बल से हमला किया था। उन्होंने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि मृतक को मारुति वैन में अस्पताल ले जाया गया था।

15. यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि साक्षी न केवल घटनास्थल पर पहुँचे, बल्कि उन्होंने मृतक को मारुति वैन में निकटतम अस्पताल ले जाने के लिए भी कदम उठाए। इससे यह स्पष्ट होता है कि मृतक उस समय जीवित रहा होगा। जहाँ तक मृत्युकालिक कथन के समय मृतक की स्थिति का प्रश्न है, संतोष कुमार (अ.सा.-4), अजीत कुमार (अ.सा.-6) और मुकुटराम (अ.सा.-2) के साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से स्थापित हो चुका है कि मृतक मृत्युकालिक कथन करने की स्थिति में था। मौखिक मृत्युकालिक कथन के समय संतोष कुमार (अ.सा.-4), अजीत कुमार (अ.सा.-6) और मुकुटराम (अ.सा.-2) की उपस्थिति स्पष्ट रूप से स्थापित है। अतः, उनका साक्ष्य विश्वसनीय एवं भरोसेमंद है और उनके साक्ष्य के आधार पर यह स्थापित होता है कि मृतक ने उनके समक्ष मौखिक मृत्युकालिक कथन किया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. अभियोजन ने भगवतीबाई (अ.सा.-5) का चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में परीक्षण किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-5) में राघवराम (अ.सा.-15) और हंसराम (अ.सा.-1) के नाम चक्षुदर्शी साक्षियों के रूप में उल्लिखित हैं, किंतु उन्होंने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया (अर्थात् वे पक्षद्रोही हो गए)।

17. अब, हम इस बात का परीक्षण करेंगे कि क्या भगवतीबाई (अ.सा.-5) का साक्ष्य विश्वसनीय और भरोसेमंद है?

18. भगवतीबाई (अ.सा.-5) ने अभिसाक्ष्य दिया कि दोपहर लगभग 12:30 बजे, वह और उसके पति (मृतक) सुहावन तालाब में स्नान करने गए थे। उस समय, अपीलार्थी, तब्बल से लैस होकर वहाँ आया और मृतक पर प्रहार किया। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थी ने मृतक की गर्दन पर तब्बल से दो वार किए थे। अपीलार्थी द्वारा मृतक पर हमला किए जाने पर, वह चिल्लाते हुए मृतक के पास गई थी। इस पर, अपीलार्थी वहाँ से भाग निकला। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि वह दौड़कर घर आई और अपने पुत्र अजीत कुमार (अ.सा.-6) को घटना के बारे में बताया। तदुपरांत, वह और अजीत कुमार (अ.सा.-6) सुहावन तालाब गए। राघवराम (अ.सा.-15), हंसराम (अ.सा.-1), रेशमीबाई और राधेश्याम वहाँ उपस्थित थे।

19. भगवतीबाई (अ.सा.-5) ने प्रतिपरीक्षण में अभिसाक्ष्य दिया कि वह महिलाओं के लिए बने घाट पर स्नान कर रही थी, जहाँ अन्य महिलाएँ भी स्नान कर रही थीं। चूँकि, उनकी आपस में बातचीत नहीं थी, इसलिए उसने पुलिस के समक्ष उनके नामों का खुलासा नहीं किया। घटना की तिथि और समय 25-9-2005 को दोपहर लगभग 12:30 बजे था। प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन दोपहर 1 बजे दर्ज की गई थी। मृतक को अस्पताल ले जाया जा रहा था, किंतु मार्ग में ही उसकी मृत्यु हो गई। तदुपरांत, देहाती मर्ग (प्रदर्श पी-6) दिनांक 25-9-2005 को दोपहर लगभग 1:20 बजे अभिलिखित किया गया। भगवतीबाई (अ.सा.-5) का केस-डायरी कथन (प्रदर्श पी-7) घटना के दिन ही दर्ज किया गया था। अपने केस-डायरी कथन (प्रदर्श पी-7) में उसने विशेष रूप से कहा था कि अपीलार्थी ने उसके पति (मृतक) पर तब्बल से दो बार वार किया था। उसने अपने घर जाकर अपने पुत्र अजीत कुमार (अ.सा.-6) को घटना का वृत्तांत सुनाया था। उसके न्यायालयीन कथन और केस-डायरी कथन में कोई सारवान विरोधाभास नहीं है। जहाँ तक विरोधाभासों का संबंध है, तुच्छ मामलों में मामूली विरोधाभास, असंगतियाँ, अतिशयोक्ति या सुधार, जो अभियोजन के मामले के मूल आधार को प्रभावित नहीं करते हैं, अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य को खारिज करने का आधार नहीं हो सकते। पुलिस को दिए गए बयानों और न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य के बीच मामूली भिन्नताएं अभियोजन के मामले के लिए घातक नहीं हैं। वर्तमान मामले में, भगवतीबाई (अ.सा.-5) के साक्ष्य में आए विरोधाभास बहुत कम हैं और अभियोजन के मामले को प्रभावित नहीं करते हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

20. हमने संतोष कुमार (अ.सा.-4), अजीत कुमार (अ.सा.-6) और मुकुटराम (अ.सा.-2) के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है। उन्होंने विशेष रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया कि पूछे जाने पर, मृतक ने उन्हें बताया था कि अपीलार्थी ने उस पर तब्बल से हमला किया था। उनके समक्ष मृतक द्वारा किया गया मौखिक मृत्युकालिक कथन विश्वसनीय और भरोसेमंद है। भगवतीबाई (अ.सा.-5) ने भी विशेष रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थी ने मृतक पर तब्बल से हमला किया था। उसके साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य द्वारा होती है। डॉ. अनिल कुमार गुप्ता (अ.सा.-9) ने अभिसाक्ष्य दिया कि मृत्यु का कारण गर्दन की मुख्य रक्त वाहिकाओं, दाहिनी बाहरी कैरोटिड धमनी दाहिनी आंतरिक कैरोटिड धमनी और दाहिनी इनोमिनेट शिरा के कटने से हुए अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उत्पन्न सिंकोप था और मृत्यु की प्रकृति मानव-वध थी।

21. विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित इस निष्कर्ष में हमें कोई त्रुटि/दुर्बलता नहीं मिलती कि यह अपीलार्थी ही था जिसने मृतक पर तब्बल से हमला किया और मृतक की मृत्यु अपीलार्थी द्वारा कारित चोटों के कारण हुई।

22. उपरोक्त परिस्थितियों में, हमें विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में हस्तक्षेप करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार, अपील विफल होती है और एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

सही /-	सही /-
सुनील कुमार सिन्हा	आर.एस. शर्मा
न्यायाधीश	न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Smt. Vijaylaxmi Pradhan [Adv.]

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur